प्रेस विज्ञप्ति

01.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इस्टीवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में **60.05 करोड़ रुपये** की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां इस्टीवन डिसूजा की दादी श्रीमती रोजा मारिया डिसूजा के नाम पर हैं। यह कुर्की 08.11.2023 के पहले के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के अतिरिक्त है, जिसके तहत 11.82 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसकी पुष्टि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने 08.04.2024 को की थी।

कुर्क की गई संपत्तियों में अब गोवा के बारदेज़ के पिलेर्न गांव में भू-खण्ड शामिल हैं, जो जाली बिक्री विलेखों और फर्जी हलफनामे-सह-अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का उपयोग करके अवैध रूप से अर्जित किए गए पाए गए हैं।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा इस्टीवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसमें फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके संपत्ति के स्वामित्व के अवैध हस्तांतरण से जुड़ी धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे अपराध शामिल थे।

ईडी की जांच से पता चला है कि इस्टीवन डिसूजा ने मोहम्मद सुहैल और अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित भूमि घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने कई उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए बिक्री विलेखों सहित भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जालसाजी और हेरफेर से जुड़ी एक व्यवस्थित योजना बनाई। अवैध लेनदेन को वैध दर्शाने के लिए इन दस्तावेजों को फिर गलत तरीके से असली दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।